

**कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,**  
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय,  
ग्राम कचान्दुर, जिला -दुर्ग (छत्तीसगढ़) - 490024

ई-मेल: [ccmgmchdurg@gmail.com](mailto:ccmgmchdurg@gmail.com)

क्रमांक / क्रय / CCMGMCH / 2024 / 1402

दुर्ग, दिनांक : 14/06/2024

**द्वितीय सीमित निविदा सूचना (Limited Tender Notice 2<sup>nd</sup>)**

**चिकित्सालय हेतु आवश्यक सूचर एवं अन्य सामग्री**

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय कचान्दुर दुर्ग हेतु आवश्यक सूचर एवं अन्य सामग्री की आवश्यकता है, जिस हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिये निम्नलिखित सामग्री का निर्धारित प्रारूप में ही कोटेशन प्रस्तुत करें :-

S.N.	ITEMS NAME	PACKING SIZE	MAKE	RATE	GST		TOTAL RATE (5+6)
					%	Rs.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUTURES MATERIALS						
2	CHROMIC 2-0 4241 RB 76CM						
3	CHROMIC 2-0 4228 RB 100CM						
4	CHROMIC CATGUT 0 4242						
5	ETHILON 0 3337 CUTTING						
6	ETHILON 0 3337 CUTTING						
7	ETHILON 2-0 3336 CUTTING						
8	ETHILON 3-0 3328 CUTTING						
9	POLYPROPYLENE 0 S56 RB 70CM						
10	POLYPROPYLENE 1 843 RB 70CM.						
11	POLYPROPYLENE 0 842 RB 70CM.						
12	POLYPROPYLENE 2-0 844 RB 90CM.						
13	PROLENE 0 846 R.B						
14	PROLENE 2-0 841						
15	PROLENE MESH 7.6X15						
16	FILAPROP MESH 15X15 CM						
17	SILK 3-0 5028						
18	SOLUS (VICRYL) 3-0 2549 RB 90CM.						
19	VICRYL 1 2347						
20	VICRYL 1-0 2347 RB 90CM						
21	VICRYL 1-0 CUTTING 2534						
22	VICRYL 1-0 RB NEEDLE 2346						
23	VICRYL 2-0 2317						
24	VICRYL 2-0 2317 RB 90CM. (POLYGLACTIN)						
25	VICRYL 3-0 2437						
26	VICRYL 4-0 2304						
27	TRUSILK B 825 (25MTR.)						
28	SILK 1 (cutting) 5062						
29	SILK 2-01 RB 5331						
30	SILK 2-0 (cutting) 5036						
31	CHROMIC No.1 RB 4259						
32	SILK 2-0 (cutting)						
33	SILK 3-0 (cutting) Reel code-B8222						
34	VICRYL 6-0 LNW2671-910						
35	Ethilon /Nylo 10-0 code 640214						
36	Vicryl 8-0						
37	Monocryl 3-0 cutting						

**अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन दर मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 10 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।**

क्रमशः...2....

*Singh*

नियम एवं शर्तः-

1. कोटेशन में दर के साथ करो का स्पष्ट उल्लेख करे साथ ही, दर अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित करें।
2. जी.एस.टी. पंजीकरण विवरण तथा फर्म का वेंडर डिटेल्स संलग्न करें।
3. फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
4. सामग्रियों को चिकित्सालय में पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी एवं आदेश जारी होने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय किया जाना होगा अन्यथा आदेश निरस्त किया जा सकता है।
5. लिफाफे के उपर कोटेशन क्रमांक एवं विषय का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है।
6. प्रस्तुत किये गये कोटेशन दर एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
7. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी।
8. सामग्री उच्च गुणवत्ता व मानक की होनी चाहिए, न होने की दशा में वापस किये जाने का पूर्ण अधिकार संस्था को होगा।
9. दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।
10. सामग्री के वर्णित दर MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि सामग्री दर MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक मूल्य की होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

*Jayant*

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक  
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शा.चि0महा0  
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग (छ.ग.)